पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च 2011

1 सा0का0नि 227 (असा0) – केन्द्र सरकार, महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के साथ संलग्नित अनुसूची में निहितानुसार तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास (लाइसेन्सिंग ऑफ स्टीवडोर्स) विनियम, 2010 को एतदद्वारा अनुमोदन करती है।

2 उक्त विनियम, सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन होने की तारीख से प्रभावी होगी।

अनुसूची

तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास

तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास (लाइसेन्सिंग ऑफ स्टीवडोर्स) विनियम, 2010

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 123 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तूत्तक्कुडि पत्त्प के बोर्ड के न्यासी एतद्द्वारा, अद्यतन के तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास (लाइसेन्सिंग ऑफ स्टीवडोर्स) विनियम, 1985 का अधिक्रमण करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, बशर्तेकि केन्द्र सरकार इसका अनुमादेन करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 124 के अधीन आवश्यकतानुसार इसका प्रकाशन किया जाता है :–

1 **लघु शीर्ष**

(i) ये विनियम तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास (लाइसेन्सिंग ऑफ स्टीवडोर्स) विनियम 2010 कहे जाएंगे।

(ii) ये विनियम, महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 (1) के अधीन सरकारी राजपत्र में उसके प्रकाशन होने की तारीख से लागू होंगे।

2 **गुंजाइश एवं प्रयोज्यता**

इन विनियम में निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल होगीं :

(i) पत्तन द्वारा किया गया स्टीवडोरिंग

(ii) लाइसेन्स्ड स्टीवडोरिंग द्वारा स्टीवडोरिंग

(iii) लाइसेन्स समझौता में निर्धारितानुसार बीओटी टर्मिनल संचालक द्वारा स्टीवडोरिंग

स्टीवडेरिंग में, कामगार को शामिल करते हुए ऑन बोर्ड गतिविधियाँ एवं निर्यात कार्गो (लादान) के लिए हुकिंग को बढाना और ऑन बोर्ड कामगार को शामिल करते हुए, निर्यात कार्गो (उतारना) के लिए अन्हुकिंग करना या पत्तनों में प्रचलित प्रथा जो कोई को भी हो, शामिल होता है।

3 **परिभाषा – इन विनियमों में, अन्यथा विषय वस्तु में यदि आवश्यक पडती है ,**

(i) ''अधिनियम '' का तात्पर्य, महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 है।

(ii) ''बोर्ड'' का तात्पर्य, अधिनियम के तहत गठितानुसार तूत्तुक्कुडि पत्तन के बोर्ड के न्यासीगण

(iii) ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य, बोर्ड के अध्यक्ष

(iv) ''फॉर्म''का तात्पर्य, इन विनियमों के साथ संलग्नित प्रपत्र

(v) ''स्टीवडोर'' का तात्पर्य, पत्तन में स्टीवडोरिंग कार्य के लिए, इन विनियमों के तहत प्राधिकारी द्वारा लाइसेन्स्ड फर्म।

(vi) ''यातायात प्रबंधक'' का तात्पर्य, तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास के यातायात विभाग के प्रभारी के रूप में रहने वाले अधिकारी

4 स्टीवडोरिंग लाइसेन्स जारी करना :

(i) अध्यक्ष, पत्तन में स्टीवडोरिंग के लिए, कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत कंपनी या सहभागिता फर्म या किसी अन्य कानूनी इकाई से आवेदन प्राप्त होने पर, तीन वर्ष की अवधि के लिए स्टीवडोरिंग लाइसेन्स जारी कर सकते हैं।

(ii) पत्तन में किसी भी जहाज के ऑन बोर्ड पर, किसी भी स्टीवडोर को काम करने की अनुमति नहीं होगी, सिवाय इन विनियमों के तहत अध्यक्ष द्वारा जारी लाइसेन्स के अधीन ही होगा।

(iii) कामगार मुआवज़ा अधिनियम 1923, वेतन भुगतान अधिनियम, 1936, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 या समय समय पर लागू किसी अन्य कानून के अधीन, वेतन एवं मुआवज़ा के लिए, कामगारों और कर्मचारियों के अनुग्रहों को पूरा करने हेतु स्टीवडोर की वित्तीय स्थिति, तथा सुरक्षा निक्षेप का कम से कम रु. 5 लाख को, अनुग्रह, अगर कोई, पूरा हो जाने के बाद, लाइसेन्स को रद्द /या समाप्त हो जाने के बाद बिना ब्याज के प्रतिपूर्ति/खारिज़ कर दिया जाएगा।

(iv) स्टीवडोर यह काम करेगा कि उनके नीचे कम से कम 2 वर्ष का अनुभव रखन वाले चार कामगार होंगे और उसके पास, स्टीवडोरिंग को प्रभावी रूप से करने के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारितानुसार ऐसे न्यूनतम गेयर होंगे।

(v) स्टीवडोरिंग लाइसेन्स को जारी करने के लिए शुल्क, लाइसेन्स की अवधि के लिए रु 50,000/– न्यूनतम होगा,जिसे बोर्ड द्वारा समय समय पर, संशोधित किया जा सकता है।

5 स्टीवडोर का कर्तव्य एवं दायित्व :

हरेक स्टीवडोर को, बोर्ड द्वारा उसको जारी किए गए स्टीवडोरिंग लाइसेन्स के करेन्सी के दौरान, निम्नलिखित कर्तव्य, अनुग्रहों एवं दायित्वों को करना होगा, अर्थात् :–

(ए) स्टीवडोर को, भारतीय गोदी श्रमिक अधिनियम, 1934, भारतीय गोदी श्रमिक विनियम, 1948, गोदी कामगार (स्वास्थ्य एवं कल्याण) योजना, 1961 एवं औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, लाभांश भुगतान अधिनियम, 1965 एवं ऐसे संचालनों के लिए समय समय पर लागू और इससे संबंधी जारी की गई नियमों, विनियमों तथा योजनाओं के प्रावधानों के तहत, मालों का यानांतरण या लादान एवं नौवहन या कार्यों के दौरान, उसके द्वारा नियोजित कामगारों एवं सभी कर्मचारियों द्वारा विधिवत् अनुपालन किए जाने को सुनिश्चित करना होगा।

(बी) स्टीवडोर को, उसके द्वारा स्वामित्व या भाडे पर, न्यूनतम उपकरण/गेयर को प्रबंध करने की जिम्मेदारी है।

(सी) स्टीवडोर को ही, उसके द्वारा प्रयोग किए गए गेयर से होने वाले दुर्घटनाओं या क्षति के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

(डी) स्टीवडोर को , उनके द्वारा निष्पादित संचालनों के संबंध में सभी स्वीकृत संरक्षा प्रथाओं का अनुसरण करना होगा।

(ई) स्टीवडोर को, उनके द्वारा निष्पादित संचालनों से होने वाले सभी तीसरी पार्टी के दावों के विरूद्ध बोर्ड की क्षतिपूर्ति करेंगे।

(एफ) किसी प्रकार की दुर्घटना होने से, कामगार मुआवज़ा अधिनियम के अनुसार दावों को, स्टीवडोर ही चुकाएंगे।

(जी) जबकभी भी नैमित्तिक कामगार को नियोजन होता है तो स्टीवडोर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे कामगारों को बीमा पॉलिसी के तहत लाया गया है।

(एच) बोर्ड का कोई गेयर, यंत्र एवं अन्य संपत्ति को, इस प्रकार के संचालनों के दौरान अगर क्षति पहुँची है तो, उपयुक्त जाँच पडताल के बाद, अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिए गए अनुसार, ऐसे घाटों या नुकसान के लिए, स्टीवडोर द्वारा ही , बोर्ड को नुकसान की भरपाई करनी होगी।

(आई) स्टीवडोर, भरपाई के भुगतान के सिलसिले में, उसके एवं तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास के बीच के किसी भी विवाद तथा मतभेद को, बोर्ड द्वारा नामित आर्ब्रिट्रेटर के पास उसकी मात्रा या किसी भी संबंधित प्रश्नों को उठा सकता है।

(जे) स्टीवडोर को यह वचन देना होगा कि वह कार्गो सम्हलाई/स्टोवेज़ में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव रखने वाले 4 पर्यवेक्षी कर्मियों को नियुक्त करेंगे। उनके प्रोफाइलों को भी आवेदन के साथ संलग्नित करेंगे।

(के) स्टीवडोर को, समय समय पर, अध्यक्ष या यातायात प्रबंधक द्वारा मांगे जाने पर किसी भी सूचना को तूरंत प्रस्तुत करना होगा।

(एल) स्टीवडोर को पत्तन/डीएलबी को अग्रिम के तौर पर अनुसूचित प्रभारों को अदा करना होगा। अगर कोई देय लंबित है तो, फर्म के लाइसेन्स का नवीकरण नहीं किया जाएगा और उसे रद्द कर दिया जाएगा।

(एम) स्टीवडोर को, संरक्षा की अनिवार्यताओं को पूरा करते हुए, उच्चतम कार्यनिष्पादन को लगातार हासिल करने को सुनिश्चित करते हुए, नियोजित कामगारों पर पर्याप्त अनुवीक्षण करने का प्रबंध करना होगा।

(एन) स्टीवडोर को, कार्गों के प्रकार से संबंधी के लिए विधिवत् टेस्टेड सभी आवश्यक गेयर उपकरणों का भी प्रबंध करना होगा।

(ओ) स्टीवडोर को, निरीक्षक , गोदी सुरक्षा या यातायात प्रबंधक द्वारा जब कभी भी मांग किए जाने पर या आवधिक निरीक्षण के लिए, आवश्यक अन्नीलिंग एवं टेस्ट प्रमाणों के साथ, गेयर, उपकरणों को प्रस्तुत करना होगा।

(पी) स्टीवडोर को, कार्गो के प्रकार के लिए, कामगारों को, आवश्यक सुरक्षात्मक सुरक्षा उपकरणों का प्रबंध करना होगा।

(क्यू) स्टीवडोर को सुनिश्चित करना होगा कि कामगार पाली अवधि में पूर्णरूप से कार्य स्थल पर उपलब्ध रहते हैं सिवाय खाने के समयावधि के दौरान को छोडकर, और सामान्य आउटपुट प्रस्तुत करते हैं और जब कभी भी सामान्य से नीचे आउटपुट गिर जाता है तो कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए प्रभावी कदम उठाएंगें।

(आर) स्टीवडोर , वेसलों के ऑन बोर्ड पर, सहायक संचालनो जैसे कि फिल्लिंग, स्टीच्चिंग तथा कार्गों का ब्रेकिंग, कार्गों का स्टाकिंग, कार्गों का स्टोवेज़ ... इत्यादि , के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेंगे ।

(एस) अगर पत्तन, स्टीवडोर द्वारा मांग की गई के विरूद्ध अपेक्षित कामगारों की पूर्ति करने में असफल होता है तो, पत्तन को इस उद्देश्य के लिए, स्टीवडोर को अपनी खुद की व्यवस्था करने की अनुमति देनी होगी।

(टी) स्टीवडोर, उसके द्वारा नियुक्त कामगारों को वेतन, समय समय पर, केन्द्र सरकार एवं पत्तन व गोदी कामगार के फेडरेशन के बीच हुए वेतन समझौते की शर्तों के अनुसार भुगतान करने के लिए वचनबद्ध है।

(यू) स्टीवडोर, अध्यक्ष के लिखित पूर्व अनुमोदन के बगैर, किसी अन्य व्यक्ति को लाइसेन्स के तहत या उसके अधीन किसी भी तरह का हित या लाभ को ना ही सौंपेगा, ना ही अंतरण करेगा या ना ही किसी भी तरह से भाग करेगा।

(वी) स्टीवडोर, सुरक्षा, बेहतर उत्पादकता एवं श्रम अनुशासन के हित में यातायात प्रबंधक द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुसार ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा।

6 स्टीवडोरिंग प्रभारें :

स्टीवडोरिंग सेवाओं, जिसमें पत्तन को देय प्रभारें शामिल हैं, केलिए मूल रकम से स्टीडोर्स द्वारा स्टीवडोरिंग प्रभारों की उगाही की जाती है। मूल रकम पर स्टीवडोर्स द्वारा वसूल किए जाने वाले प्रभारों को पार्टियों एवं मार्केट फोर्सो पर छोडा दिया जाना चाहिए।

7 लाइसेन्स की मान्यता/नवीकरण :

(i) स्टीवडोरिंग लाइसेन्स को प्रदान या नवीकरण करने के लिए आवेदन, यातायात प्रबंधक को फॉर्म –ए में दिया जाना है।

(ii) आवेदक को, लाइसेन्स जारी या नवीकरण करने से पहले रु 50,000/– का लाइसेन्स शुल्क अदा करना है।

(iii) इन विनियमों के तहत जारी या नवीकरण किए गए हरेक लाइसेन्स को फॉर्म–ख में होना है।

(iv) स्टीवडोरिंग लाइसेन्स की मान्यता की अवधि, तीन वित्तीय वर्ष होगी। 1 अप्रैल के बाद जारी किया गया लाइसेन्स, लाइसेन्स जारी किए गए तारीख से अगले दो वित्तीय वर्ष के अंत तक मान्य होगी।

(v) लाइसेन्स को, समय समय पर बोर्ड द्वारा नियम थ्रूपुट प्राप्त किए जाने के आधार पर, सख्ती से नवीकरण की जाएगी।

(vi) स्टीवडोर लाइसेन्स को नवीकरण करने हेतु आवेदन, लाइसेन्स की समाप्ति से पूर्व तीन महीने के अंदर किया जाना चाहिए। नवीकरण हेतु विलंबित आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और समाप्ति की तारीख को ही लाइसेन्स समाप्त हो जाएगा।

(vii) लाइसेन्स के नवीकरण को जारी करने से पहले, गोदी सुरक्षा कानून के सुरक्षा निष्पादन अनुसरण के संबंध में एक रिपोर्ट, गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण) अधिनियम, 1986 के तहत घोषित ''निरीक्षक'' से प्राप्त करनी होगी, जिसे, लाइसेन्स का नवीकरण प्रदान करते समय, विचारार्थ लिया जाएगा।

अगर स्टीवडोर, अनिवार्य शर्तों को पूरा करता है और नवीकरण के लिए योग्य है, लेकिन लाइसेन्स की अवधि की समाप्ति से पूर्व सुरक्षा निकासी की प्रतीक्षा कर रहा है तो, पत्तन एक क्षतिपूर्ति बंध पत्र का निष्पादन करते हुए स्टीवडोरिंग संचालन करने की अनुमति दे सकता है।

(viii) मूल लाइसेन्स के गुम या खराब हो जाने से, एक प्रतिलिपि लाइसेन्स, एक हज़ार रुपया का भुगतान करते हुए, यातायात प्रबंधक को एक आवेदन करते हुए प्राप्त किया जा सकता है।

8 नाम, संगठन .... इत्यादि में बदलाव को सूचित किया जाना :

(i) जब कभी भी स्टीवडोर एक फर्म या कंपनी होती है, और अगर उसके निदेशक, प्रबंधन निदेशक या सहभागी का बदलाव होता है, जैसी स्थिति होती है तो, ऐसे बदलाव के समर्थन में के दस्तावेज़ो की प्रति के साथ उसकी सूचना, अध्यक्ष को देनी होगी।

(ii) स्टीवडोरिंग लाइसेन्सी के धारक फर्म या कंपनी का अगर नाम , शीर्ष या संगठन में बदलाव होता है, तो उसकी सूचना अध्यक्ष को तुरंत करनी होगी। ऐसे बदलाव हो रहे कंपनी या फर्म को, नया लाइसेन्स प्रदान किए जाने हेतु एक नया आवेदन प्रस्तुत करना होगा। बशर्तें कि अध्यक्ष ऐसे फर्म या कंपनी को, व्यापार चालू रखने की अनुमति दे सकते हैं, जब तक कि ऐसे नए आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता।

9 स्टीवडोरिंग लाइसेन्स को रद्द / निलंबन करना :

अध्यक्ष , नीचे बताए गए किसी भी कारणों के लिए लाइसेन्स की शर्तों को किसी भी प्रकार का उल्लंघन होने से, स्टीवडोर को जारी किए गए लाइसेन्स को रद्द कर सकता है या किसी भी समय निलंबन कर सकता है, जैसा वे ठीक समझते हैं।

(i) स्टीवडोरिंग फर्म के सीईओ को,नैतिक अधमता के किसी भी जुर्म के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जाता है और उस सिलसिले में कम से कम छः महीने की हिरासत होती है और ऐसी सज़ा की तारीख समाप्त होने की तारीख से पाँच वर्ष बीत नहीं गया है ।

(ii) सुरक्षा सावधानियों का उल्लंघन

(iii) अगर फर्म, पत्तन द्वारा नियतानुसार के न्यूनतम गारंटी थ्रूपुट/निर्धारित पैरामीटरों से कम की सम्हलाई करता है।

(iv) स्टीवडोरिंग कामगारों पर अपर्याप्त पर्यवेक्षण होना।

(v) पैकेज़ों की अनुचित एवं असुरक्षित सम्हलाई।

(vi) सामग्री तथ्यों का गलत प्रस्तुतीकरण या गलतफहमी।

(vii) स्टीवडोर अगर, अभियुक्त दिवालिया या परिसमापन में जा रहा है।

(viii) पत्तन में किसी भी काम में बाधा पहुँचा रहा है।

(ix) किसी अन्य व्यक्ति या पार्टियों को, कार्य का उप किराएदारी बनाना।

(x) किसी भी प्रकार का दुर्राचार, जो कि बोर्ड की राय में, इस प्रकार का रद्द करने या निलंबन करने का अधिकार देता है।

(xi) नियम एवं निर्देशों जैसे कि आइएसपीएस कोड कम्पलायन्स .... इत्यादि से संबंधी सुरक्षा का उल्लंघन होता है।

(xii) गैर–कानूनी/भ्रष्टाचार प्रथाओं में तृप्ता होता है।

बशर्ते कि ऐसा कोई भी लाइसेन्स, जैसा भी मामला हो, पर रद्द या निलंबन नहीं किया जा सकता जब तक कि लाइसेन्स के धारक को, क्यों उसके लाइसेन्स को रद्द या निलंबन नहीं किया जा सकता, जैसी भी स्थिति हो, के लिए कारण बताने हेतु पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाता।

10 अपील :

कोई भी व्यक्ति, जिसे लाइसेन्सों को रद्द/निलंबन/जारी करने की मनाही से संबंधी किसी प्रकार के आदेश से दुखी होता है तो, उसे इस प्रकार के आदेश सूचित करने की तारीख से 30 दिनों के अंदर, अध्यक्ष या किसी अन्य उच्च प्राधिकारी को, जैसी स्थिति हो, को लिखित रूप में, उस आदेश के विरूद्ध अपील कर सकता है।

11 अन्य विविध :

1 पत्तन/डीएलबी/लाइसेन्स धारक या बाहर से कामगारों का नियोजन :

अगर किसी कारण से पत्तन, स्टीवडोर्स द्वारा मांग किए गए के विरूद्ध अपेक्षित कामगारों की पूर्ति करने में असफल होता है तो, पत्तन इस उद्देश्य के लिए, स्टीवडोर को अपनी खुद की व्यवस्था करने की अनुमति दे सकता है।

2 निष्पादन ....इत्यादि के लिए नियम एवं मानदंड

निष्पादन, प्रोत्साहन दर..... इत्यादि के लिए नियम एवं मानदंड को पत्तनों द्वारा, समय समय पर, पिछले 3 वर्षों के दौरान के निष्पादन पैरामीटरों को विधिवत् ध्यान में रखते हुए, निर्धारित किया जाए ।

3 प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीकि का प्रयोग

स्टीवडोरिंग गतिविधियों में नियोजित कार्मिकों को, उत्पादन, दक्षता एवं सुरक्षा में सुधार लाने हेतु, कार्गो सम्हलाई के आधुनिक प्रक्रियाओं में प्रशिक्षित किया जाए। यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्टीवडोरिंग संचालनों के लिए ऐसे विशेष प्रशिक्षण कोर्सों को, इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटि में शुरू किया जाना चाहिए।

4 व्याख्या

इन विनियमों के व्याख्या के संबंध में, या ऊपर दिए गए किसी भी विषय या आगे प्रबंध किए गए के मामले में, अगर कोई प्रश्न उठता है तो उस पर निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।

ऊपर के विनियम, अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगें।

फार्म – ए

वी ओ चिदम्बरनार पत्तन न्यास

यातायात विभाग

सेवा में

यातायात प्रबंधक
वी ओ चिदम्बरनार पत्तन न्यास

स्टीवडोरिंग लाइसेन्स को प्रदान /नवीकरण करने के लिए आवेदन प्रपत्र

1	आवेदक का नाम	
2	क्या यह कंपनी, कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत है या सहभागिता फर्म है या कोई अन्य कानूनी अस्तित्व है (सहभागिता /कंपनी के कागज़ात प्रस्तुत किए जाने हैं)	
3	पूरा पता	
4	वर्ष/वर्षों , जिसके लिए लाइसेन्स की जरूरत है।	
5	स्टीमशिप कंपनी /जहाज के चार्टर्र/कार्गो के मालिक का नाम , जिसके साथ उनके वेसल की स्टीवडोरिंग के लिए ठेका लेने/कार्गो प्रचलित करना या लेने/करने का प्रस्ताव किया जा रहा है (ठेके की अवधि का सबूत संलग्न किया जाना है। हरेक पार्टी के लिए अनुमानित टनेज को भी अंकित किया जाना है)	
6	इस क्षेत्र में पिछला अनुभव (पिछले 3 वर्षों के लिए कार्गो तथा स्टीवडोर्रड् टनेज को प्रस्तुत किया जाना है)	
7	कामगार मुआवज़ा अधिनियम .... आदि के तहत वेतन पर के इकरारनामों को पूरा करने हेतु वित्तीय क्षमता का रकम (वित्तीय क्षमता के रूप में बैंकर्स से एक प्रमाण पत्र एवं पेन कार्ड की प्रति)	
8	क्या आवेदक के पास , ठेके पर लिए वेसल/कार्गो की स्टीवडोरिंग करने के लिए पर्याप्त गेयर हैं या प्राप्त करने की इच्छा रखता है? (आवश्यक प्रमाण के साथ गेयर की सूची प्रस्तुत की जाए)	

9	क्या आवेदक के पास नियम एवं विनियम को जानते हुए अनुभवी कर्मचारी पर्याप्त रूप में नियुक्त हैं या करने की इच्छा रखता है? (कर्मचारियों और उनके अनुभव की सूची प्रस्तुत किया जाए)	
10	क्या आवेदक ने सभी देयों , अगर कोई, जिसके लिए पत्तन न्यास के साथ उसका कोई लेन–देन था, को चुका दिया है?	
11	क्या आवेदक ने निम्नलिखित निक्षेपों किए हैं: लाइसेन्स शुल्क – रु 50,000/– कामगार मुआवज़ा अधिनियम, 1923, वेतन भुगतान अधिनियम, 1936, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ..... इत्यादि के तहत देयताओं की ओर और इस प्रपत्र के कॉलम 4 के अधीन आवश्यकतानुसार, जिसके लिए लाइसेन्स की जरूरत है, की अवधि के लिए मान्य आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए, रु 5.00 लाख का निक्षेप ।	

मैं आश्वासन देता हूँ कि दिए गए विवरण मेरे ज्ञान एवं विश्वास से ठीक एवं सही हैं।,

मैं, लाइसेन्स प्रदान करने के लिए विचार करने हेतु, आवश्यकतानुसार निरीक्षण करने के लिए कोई भी अन्य सूचना / किसी प्रकार का रिकार्ड प्रस्तुत करने के लिए सहमत हूँ। मैं तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास (लाइसेन्सिंग ऑफ स्टीवडोरिंग) विनियम, 2010 को पालन करने और समय समय पर तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास द्वारा दिए जाने वाले निदेशों का अनुपालन करने, के लिए सहमत हूँ , अगर लाइसेन्स जारी / नवीकरण किया जाता है।

आवेदक का हस्ताक्षर/मोहर

स्थान :

दिनांक :

सं0 : टीपीटी /एस एल /

तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास
तूत्तुक्कुडि पत्तन पर स्टीवडोरिंग संचालनों के लिए लाइसेन्स

1	लाइसेन्सी का नाम	:
2	पता	:
3	अवधि जिसके लिए लाइसेन्स जारी किया गया	:
4	सम्हाले जाने वाला न्यूनतम टनेज़	:
5	शर्तें जिसके कारण से लाइसेन्स जारी किया गया	:

मोहर

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी

पदनाम अध्यक्ष

स्थान तूत्तुक्कुडि

शर्तें (विनियम 2010 के अनुसार)